न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2016

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 पेमाराम पुत्र ओगडराम		1 भेराराम पुत्र बोराराम गोदपुत्र घीसाराम जाति देवासी निवासी धीनावास तहसील सोजत
2 घेवरराम पुत्र ओगडराम जाति देवासी निवासीगण देवासियों की ढाणि, धीनावास		2 सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 10.07.2017

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 17/77–78, संकल्प संख्या 1 दिनांक 07.03.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.09.1977 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण का भूखण्ड मय बाडा व रहवासीय मकान ग्राम धीनावास की आबादी क्षैत्र में आया हुआ स्थित है, जिसके पूर्व में रास्ता व अप्रार्थी का बाडा, पश्चिम में घेवरजी का मकान व भेराराम का रहवासीय मकान, उत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 का मकान एवं दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय (क0ख0) सोजत के न्यायालय में पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.09.1977 के आधार पर एक वाद प्रस्तुत किया कि उसका निम्न पडौस का रहवासीय मकान व नोहरा आया है, जिसके पूर्व में गोरधन पुत्र गिरदाराम का मकान, पश्चिम में दरवाजा व पाबूजी का चौक, उत्तर में खालसा भूमि एवं दक्षिण में पेमाराम पुत्र ओगडराम व मिश्राजी के मकान एवं बाडा आया हुआ स्थित है। इस भूमि को लेकर अप्रार्थी ने प्रार्थी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का अंदेशा होने से प्रार्थी को रोकने का अनुतोष चाहा। जबकि उक्त भूमि प्रार्थी के मालिकाना हक की भूमि है, जिसे विवादित करने की नियत से वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि विरूद्ध रूप से जारी किया है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की प्रक्रिया की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे कोई जैर निगरानी दस्तावेज विधिक प्रावधानों के अनुसार तैयार नही किये, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा विधि शून्य एवं नियम विरूद्ध तथा प्रक्रिया के विरूद्ध होने से खारिज योग्य हे। अधिनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी के पिता द्वारा कोई आवेदन विधि अनुसार प्रस्तुत नही किया गया एवं न ही आवेदन में वर्णित भूमि का दस्तावेज प्रस्तुत किया। जब ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत के समक्ष अप्रार्थी के तथाकथित पट्टे का आवेदन नियमों के तहत प्रस्तुत ही नही किया एवं न ही उसमें मकान या बाडा का उल्लेख किया। ग्राम पंचायत द्वारा वोराराम, घीसाराम के आवेदन पर दिनांक 25.07.1976 को मिसल संख्या 17 दर्ज की एवं उसी रोज सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिये गये। दिनांक 02.08.1976 को ग्राम सेवक द्वारा नक्शा पेश करना बताया, जबकि नक्शे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर ही नही है। उसी प्रकार नक्शे में वर्णित भाग पर घीसाराम के हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नही है। दिनांक 02.08.1976 को तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, किन्तु वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट में भूमि का क्षैत्रफल ही अंकित नही है तथा न ही वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.08.1976 को मौका रिपोर्ट पेश करने का इन्द्राज किया है तथा उसी रोज नियम 260 के तहत आपत्तियां आमन्त्रित करने का नोटिस दिनांक 17.08.1976 को जारी किया गया है। इसके पश्चात दिनांक 10.01.1977 को किसी प्रकार की आपत्तियां प्राप्त नही होने पर दिनांक 07.02.1977 को पत्रावली गवाहों के बयान कलमबद्ध करने हेतु रखी गई एवं कौन कौन से गवाह उपस्थित हुए, उसका इन्द्राज नही किया गया। दिनांक 07.03.1977 को जैर निगरानी पंचायत की आज्ञा पारित की गई। ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में एक ही व्यक्ति द्वारा तैयार की गइ है। ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण कार्यवाही तथा वोराराम के स्वयं के आवेदन में कहीं भी यह वर्णित नही किया कि उसका मौके पर कोई मकान है या बाडे की भूमि है, जिसके सम्बन्ध में कोई कथन नही होते हुए तथा उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा हो या आवास हो, ऐसी कोई साक्ष्य नही होते हुए अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने 22545 वर्गफिट भूमि का पट्टा नियम विरूद्ध व प्रक्रिया के विरूद्ध जारी किया, जबकि ग्राम पंचायत को नियम विरूद्ध पट्टा जारी करने का कोई क्षैत्राधिकार नही था। प्रार्थी के मकान के पडौस में मिसरा बादर पि0 मगजी का पट्टा नम्बर 7 दिनांक 20.09.1970 को जारी किया गया है, जिसके मिसल संख्या 15/77–78 व दूसरा पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.09.1977 को मिसल संख्या 16/77–78 मिसरा पुत्र मगजी के नाम से जारी किया गया है। इन पट्टो में दर्ज पडौस में प्रार्थी का मकान दर्ज है, किन्तु अप्रार्थी जबरन व बलपूर्वक प्रार्थी की मालिकाना भूमि पर अपना अधिकार जताकर झूठा वाद प्रस्तुत किया। सिविल न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा तलब की गई, जिसमें वर्णित पडौस अनुसार जाहिर है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की सम्पूर्ण मालिकाना कब्जासुदा रहवासीय मकान की भूमि पर जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा प्राप्त करना जाहिर होता है, जबकि मौके पर अप्रार्थी के वाद के संलग्न नक्शे अनुसार कोई भूमि मौके पर नही पाई गई तथा कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई, जिसके अनुसार अप्रार्थी की भूमि मौके पर नही पाई गई। अप्रार्थी स्वयं ने प्रार्थी की मालिकाना हक एवं कब्जासुदा आवासीय मकान की भूमि सम्मिलित करते हुए मौका रिपोर्ट का नजरी नक्शा बनवाया, इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा की भूमि मौके पर नही होते हुए भी ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विरूद्ध जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टासुदा कब्जासुदा भूखण्ड पर अब प्रार्थी के द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा करने की नियत से एक मकान का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, तब अप्रार्थी ने सिविल न्यायालय में वाद पेश कर प्रार्थी के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया था, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने बिल्कुल ही गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत धीनावास ने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी के पिता द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष विधि अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें भूमि का क्षैत्रफल एवं पडौस अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों के तहत प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 17/77–78, संकल्प संख्या 1 दिनांक 07.03.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के दादा पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.09.1977 के विरूद्ध पेश की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता बोराराम, धीसाराम पि0 हेमाजी जाति राईका द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास के समक्ष आवेदन पत्र प्रसतुत कर विक्रय विलेख जारी कराने का निवेदन किया। आवेदन पत्र पर सरपंच द्वारा अंकित टिप्पणी अनुसार कोर्ट एवं नक्शा फीस के रूपये आवेदक द्वारा जमा करवाया जाना अंकित है। इसके पश्चात दिनांक 25.07.1976 को मिसल दर्ज रजिस्टर की गई एवं सचिव को नक्शा बनाकर दिनांक 02.08.1976 को पेश करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश की पालना में जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर नही है एवं सरपंच के हस्ताक्षर है। दिनांक 02.08.1976 को नक्शा पेश होना अंकित है। इस पर नियम 258 के अनुसार तीन वार्ड पंचों को मौका देखने हेतु मनोतीन किया है। इसके पश्चात दिनांक 09.07.1976 की आदेशिका अनुसार मौका निरीक्षण नही किये जाने पर मौका निरीक्षण के पश्चात पत्रावली दिनांक 16.08.1976 को पेश करने के आदेश दिये गये। इस आदेश की पालना में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें दो वार्ड पंचों के हस्ताक्षर है। दिनांक 16.08.1976 को पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 260 के तहत एक माह का उजरदारी नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात एक माह की अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्रार्थी को अपने कब्जे की पुष्टि में दो गवाह के बयान दर्ज कराने के आदेश दिये गये। इसके पश्चात दिनांक 07.02.1977 को बयान कलमबद्ध किये जाना अंकित किया है, जबकि इसमें गवाहों के नाम अंकित नही है। पत्रावली के संलग्न जो बयान है, उसके अनुसार प्रथम बयान स्वयं प्रार्थी (अप्रार्थी संख्या 1 के पिता) के तथा स्वतन्त्र गवाहों के रूप में मिश्रा पुत्र मगजी तथा सुजाराम पुत्र रतना के बयान दर्ज किये गये है। इसके पश्चात दिनांक 07.03.1977 को नियम 266 के अनुसार 41 रूपये जमा कराने पर प्रार्थी को विक्रय विलेख जारी करने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात दिनांक 10.09.1977 को राशि जमा कराने पर पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि विवादित करने की नियत से सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है तथा उसमें अपने पट्टा सुदा भूमि के उत्तर दिशा में खालसा भूमि दर्शाई है, जबकि वहां खालसा भूमि नही होकर प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि स्थित है। एवं उसके आगे रास्ते की भूमि है। इस सम्बन्ध में जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे में प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में खालसा भूमि अंकित है। प्रार्थी ने अपने इन तथ्यों के समर्थन में मिसरा बादर पि0 मगजी का पट्टा नम्बर 7 दिनांक 20.09.1970 को जारी किया गया है, जिसके

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलक्टर, पाली

मिसल संख्या 15/77–78 व दूसरा पट्टा संख्या 8 दिनांक 20.09.1977 को मिसल संख्या 16/77–78 मिसरा पुत्र मगजी के नाम से जारी जाहिर किया है एवं इन पट्टो में दर्ज पडौस में प्रार्थी का मकान दर्ज होना जाहिर किया है। इन पट्टों में अंकित पडौस का तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि मिसरा, बादर पि0 मंगजी के नाम जारी पट्टा संख्या 7 के पश्चिम दिशा में ओगडजी व पानी का निकास अंकित है। इसी प्रकार मिश्रा पुत्र मंगजी के नाम जारी पट्टा संख्या 8 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि इस पट्टे की दिशाओं में प्रार्थी के भूखण्ड या मकान का उल्लेख नही है। अब जहां तक पट्टे संख्या 7 के पश्चिम दिशा में प्रार्थी के पिता का नाम अंकित है, उसका तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पट्टा संख्या 7 की उत्तरी भुजा का क्षैत्रफल 53 फुअ है, जबकि जैर निगरानी पट्टा संख्या 6 की दक्षिणी भुजा 164 फीट है। जैर निगरानी पट्टा संख्या 6 के दक्षिण में प्रार्थी के पिता ओगड का नोहरा अंकित है तथा पट्टा संख्या 7 के पश्चिम में ओगड का नाम अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने पट्टे की प्रति प्रस्तुत नही की, जिससे यह स्पष्ट नही हो सकता की प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि की उत्तरी भुजा का क्षैत्रफल कितना था एवं अप्रार्थी के भूमि के समानान्तर कितने क्षैत्रफल तक प्रार्थी की पट्टासुदा भूमि थी ? प्रार्थी ने अपनी निगरानी के पृष्ठ संख्या 2 के चरण संख्या 1 की पंक्ति संख्या 8 से 10 में यह अंकित किया कि अप्रार्थी ने अपने वाद में उत्तर दिशा में खालसा भूमि बताई, जबकि वह भूमि खालसा नही होकर अप्रार्थी की पट्टासुदा भूमि है एवं उसके आगे रास्ते की भूमि है। यह तथ्य रेकर्ड से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि जैर निगरानी पट्टे के उत्तर दिशा में खालसा भूमि अंकित है तथा सिविल न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट में भी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता के नाम जारी पट्टे की भूमि के उत्तर में खालसा भूमि दशाई है एवं दक्षिण में प्रार्थी का मकान होना जाहिर किया गया है, जो जैर निगरानी पट्टे में दर्ज पडौस से मिलान करता है। जहां तक जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की विधिकता का प्रश्न है, तो जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 255 से 271 की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, धीनावास द्वारा मिसल संख्या 17/77–78, संकल्प संख्या 1 दिनांक 07.03.1977 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के दादा पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 20.09.1977 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत धीनावास का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 10.07.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलेक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली